

वित्तीय वर्ष-2013-14 में इन्दिरा गाँधी राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन योजना (सामान्य घटक) के तहत पेंशन भुगतान हेतु सहायक अनुदान-वेतनादि के अलावा (31 06) मद में प्रखण्डवार/निकायवार उपावंटन तालिका:-

क0	प्रखण्ड/नगर निकाय का नाम	पेंशनधारियों की संख्या	उपावंटित राशि
1	2	3	4
1	प्रखण्ड विकास पदाधिकारी, मधेपुरा	5352	3186600
2	प्रखण्ड विकास पदाधिकारी, सिंदेश्वर	4615	2769000
3	प्रखण्ड विकास पदाधिकारी, गम्हरिया	3059	1835400
4	प्रखण्ड विकास पदाधिकारी, धैलाढ़	3205	1923000
5	प्रखण्ड विकास पदाधिकारी, शंकरपुर	986	591600
6	प्रखण्ड विकास पदाधिकारी, कुमारखण्ड	2980	1092000
7	प्रखण्ड विकास पदाधिकारी, मुरलीगंज	2841	1704600
8	प्रखण्ड विकास पदाधिकारी, उदाकिशुनगंज	4400	2640000
9	प्रखण्ड विकास पदाधिकारी, ग्वालपाड़ा	4137	2382200
10	प्रखण्ड विकास पदाधिकारी, बिहारीगंज	3391	1934600
11	प्रखण्ड विकास पदाधिकारी, आलमनगर	5643	3285800
12	प्रखण्ड विकास पदाधिकारी, चौसा	4133	2279800
13	प्रखण्ड विकास पदाधिकारी, पुरैनी	2284	1370400
14	कार्यापालक पदाधिकारी, नगर परिषद, मधेपुरा	1125	675000
15	कार्यापालक पदाधिकारी, नगर पंचायत, मुरलीगंज	825	330000
	कुल योग :-	48976	28000000

मो0 (दो करोड़ अस्सी लाख) रुपये मात्र।

274-2
28/6/13


जिला पदाधिकारी,
मधेपुरा।

समाहरणालय, मधेपुरा
(सामाजिक सुरक्षा कोषांग)

पत्रांक...../सा0सु0को0,

प्रेषक,

जिला पदाधिकारी,
मधेपुरा।

सेवा में,

सभी प्रखंड विकास पदाधिकारी, मधेपुरा जिला।
कार्यपालक पदाधिकारी, नगर परिषद, मधेपुरा,
कार्यपालक पदाधिकारी, नगर पंचायत, मुरलीगंज।

विषय:-

मधेपुरा, दिनांक...../
चालू वित्तीय वर्ष-2013-14 में राज्य योजनान्तर्गत इन्दिरा गाँधी राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन योजना
(समान्य घटक) के पेंशनधारियों को नगद पेंशन भुगतान हेतु प्रथम किस्त कुल रु0-
2,80,00,000=00 (दो करोड़ अस्सी लाख) रुपये मात्र का उपावंटन।

प्रसंग:-

सचिव, समाज कल्याण विभाग, बिहार- पटना के पत्र सं0-01/सा0सु0 बजट-ई0गा0रा0वृद्धा0पें0-11/2013-
स0क0-18 पटना, दिनांक-22/05/2013

महाशय,

उपर्युक्त विषयक प्रासंगिक पत्र द्वारा वित्त विभागीय स्थायी परिपत्र सं0-2561 दिनांक-17.04.98 में उल्लेखित
निदेशों एवं प्रावधानों के अन्तर्गत विभागीय राज्यदेश सं0-999 दिनांक-14.05.2013 के आलोक में पेंशनधारियों को प्रथम किस्त
नगद पेंशन भुगतान हेतु संलग्न विवरणी के स्तम्भ-4 के अनुसार कुल रु0 2,80,00,000=00 (दो करोड़ अस्सी लाख) रुपये
मात्र का उपावंटित किया जाता है।

2- उपावंटित राशि मॉग सं0-51, मुख्य शीर्ष-2235-सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण, उप मुख्य शीर्ष-03-राष्ट्रीय सामाजिक
सहायता कार्यक्रम, लघु शीर्ष-101-राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन योजना, उप-शीर्ष-0101-इन्दिरा गाँधी राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन
योजना, विषय शीर्ष-31 06- सहायक अनुदान-वेतनादि के अलावा, विपत्र कोड संख्या-p-2235031010101 तथा स्कीम
कोड-WEL-5498 से विकलनीय होगा।

3- निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी को निदेश दिया जाता है कि वे उपावंटित राशि कोषागार से निकासी कर शिविर के माध्यम से
पेंशन का भुगतान सुनिश्चित करेंगे।

4- जिस मद में राशि उपावंटित की गई है उसे उसी मद में व्यय किया जायगा।

5- उपावंटित राशि का उपयोगिता प्रमाण पत्र सहायक निदेशक, सामाजिक सुरक्षा कोषांग, मधेपुरा को निश्चित रूप से उपलब्ध
करायी जाय।

6- उपावंटित राशि का विवरणी संलग्न है।
उपर्युक्त निदेशों का दृढ़तापूर्वक अनुपालन सुनिश्चित करेंगे।

विश्वासभाजन

30/

जिला पदाधिकारी,
मधेपुरा।

ज्ञापक 2742 / सा0सु0को0, मधेपुरा, दिनांक 28/6/13 /

प्रतिलिपि:- कोषागार पदाधिकारी, मधेपुरा को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि:- अनुमण्डल पदाधिकारी, मधेपुरा/ उदाकिशुनगंज को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि:- निदेशक, सामाजिक सुरक्षा, बिहार, पटना को सादर सूचनार्थ समर्पित।

जिला पदाधिकारी,
मधेपुरा।